फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

हनुमान सहाय बनाम सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ व अन्य

केस संख्या 68/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
21.01.2025	राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प .9 (21) राज–1 / 2024–(2–3) जयपुर दिनाक 29.12.2024 के अनुसरण में न्यायालय जिला कलेक्टर जयपुर ग्रामीण से स्थानान्तरण हो कर प्राप्त होने पर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवगत कराया हैं कि सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के लिंक पीठासीन अधिकारी श्री ललित कुमार मीणा आर॰ए॰एस॰ के स्थान पर अन्य पीठासीन अधिकारी का पदस्थापन हो गया है। प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । प्रार्थी ने सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 50/2024 ब उनवानी ललिता बनाम हनुमान सहाय में पीठासीन अधिकारी श्री ललित कुमार मीणा आर॰ए॰एस॰ से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने का अनुरोध किया है। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) जमवारामगढ के पीठासीन अधिकारी पद पर अन्य पीठासीन अधिकारी का पदस्थापन हो जाने से श्री ललित कुमार मीणा आर॰ ए॰ एस॰ के विरूद्व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वतः ही प्रभाव शुन्य (Infructuous) हो गया है। फलस्वरूप प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम हो। (डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner